लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

संख्या लार्डिस (पीपी) 2014/आईबी-2 मई 2014

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत, लोक सभा कक्ष में प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

मैं, अमुक, जो लोक सभा का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूं *ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं* कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।

अतः, संविधान में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, तथा सामान्य संसदीय परिपाटी के अनुपालन में, प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने/प्रतिज्ञान कराने तथा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सभा के सदस्यों में से सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सामयिक अध्यक्ष, जिसे स्वयं राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाती है, सभा में आकर सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर होने के बाद यह समझ लिया जाता है कि उसने सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। सामयिक अध्यक्ष के साथ-साथ सभा के दो या तीन और वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों के रूप में की जाती है, जिनमें से किसी के भी सामने नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है। बाद में, नई लोक सभा की पहली बैठक आरंभ होने पर सामयिक अध्यक्ष इन अन्य सदस्यों की नियुक्ति सभापति तालिका के लिए कर देता है, जिससे कि वे किसी बैठक के दौरान सामयिक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कर सकें।

सामयिक अध्यक्ष

अनुच्छेद 94 के दूसरे परंतुक के अनुसार साधारण निर्वाचन के बाद गठित नई लोक सभा की पहली बैठक के तुरंत पूर्व विघटित लोक सभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग कर देता है; क्योंकि उस समय न तो अध्यक्ष होता है और न कोई उपाध्यक्ष, इसलिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 95(1), के अधीन नई लोक सभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाने तक उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य की नियुक्ति करता है। इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य को सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। सामान्यतः, लोक सभा का वरिष्ठतम सदस्य सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए चुना जाता है। संविधान, प्रक्रिया नियम के अंतर्गत या अन्यथा इनको अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद, सामयिक अध्यक्ष का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

आरंभिक प्रक्रिया

चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी यथाशीघ्र चुनाव परिणाम की सूचना संघ सरकार, निर्वाचन आयोग और लोक सभा के महासचिव को देता है। परिणाम की घोषणा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाणपत्र देता है और उसकी प्राप्ति की रसीद जिस पर सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं, उससे लेता है और उस रसीद को रजिस्ट्री द्वारा महासचिव को भेज देता है। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाणपत्र देता है और उसकी प्राप्ति की रसीद जिस पर उसके यथोचित हस्ताक्षर होते हैं, उससे लेता है और उस रसीद को रजिस्टर्ड डाक द्वारा महासचिव को भेज देता है। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य के मामले में, विधि मंत्रालय नामनिर्देशन का पत्र उक्त सदस्य को देता है, ताकि वह शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के समय सभा पटल पर इसे प्रस्तुत कर सके।

सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र अथवा यथास्थिति सदस्य के रूप में उन्हें नामनिर्दिष्ट करने वाली

अधिसूचना की मूल प्रमाणित प्रति शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान समारोह के दौरान अपने साथ लाएं और उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत करें। इस आशय का एक पैराग्राफ लोक सभा समाचार में भी प्रकाशित किया जाता है जिसमें उन्हें सभा के समय और तिथि की जानकारी दी जाती है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि यदि वे उस दिन शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने आदि में असमर्थ हों तो इसकी अग्रिम सूचना दे दें।

जब सदस्य यह प्रमाणपत्र सभा पटल के अधिकारी को दिखाता है तो वह जब भी आवश्यक हो सदस्य के हस्ताक्षर का मिलान उस रसीद पर किए गए उसके हस्ताक्षर से करता है जो कि निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होती है। निर्वाचित सदस्य की पहचान का सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित अधिकारी उस प्रमाणपत्र के पीछे सत्यापन के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर कर देता है और वह प्रमाणपत्र सदस्य को लौटा देता है। शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, सदस्यों को यथास्थिति अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र अथवा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने की अधिसूचना की प्रमाणित प्रति महासचिव के पास जमा करानी होती है। महासचिव द्वारा लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची वाली एक पुस्तिका सभा पटल पर रखी जाती है। सभा पटल पर सत्यापन के प्रयोजनार्थ, यदि आवश्यक हो, रसीदें भी रखी जाती हैं।

शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की प्रक्रिया

यदि शपथ दिलाने वाला व्यक्ति सभा के पीठासीन अधिकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो और शपथ सभा से बाहर ली जाए तो शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने को सभा की कार्यवाही नहीं माना जाता है परंतु यदि शपथ सभा की किसी बैठक में दिलायी जाती है तो यह कार्यवाही का भाग होती है और इस बात में सामयिक अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि शपथ किस तरह दिलायी जाए।

नव-निर्वाचित सभा की पहली बैठक में सामान्यत: सदस्य शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं। उस दिन सभा में केवल शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के बाद ही सभा में सदस्य समवेत होते हैं और सभा में बैठते हैं लेकिन उन्हें अपना स्थान ग्रहण किया हुआ माना जाता है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण एक पावन अवसर होता है। यह अपेक्षा की जाती है कि सदस्य इस अवसर की पावनता बनाए रखेंगे या इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएंगे। यह परिपाटी बन गई है कि यह कार्य आरंभ किए जाने से पूर्व सामयिक अध्यक्ष सदस्यों से इस अवसर की महत्ता को देखते हुए कुछ देर के लिए मौन खड़े रहने के लिए कहता है। 15वीं लोक सभा के दौरान अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

> *आज हम एक पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। संविधान के अधीन एक नयी सभा का गठन हुआ है जिस पर देश और हमारी जनता के कल्याण की महान और भारी जिम्मेदारी है। यह उपयुक्त ही है कि हम सब अपना कार्य आरंभ करने से पहले कुछ देर के लिए मौन खड़े रहें।*

सदस्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत रूप से शपथ लेते या प्रतिज्ञान करते हैं। महासचिव द्वारा नाम पुकारे जाने पर, सदस्य जहां पर वह बैठा होता है, वहां से उठकर महासचिव की मेज की दायीं ओर आ जाता है और महासचिव, यथास्थिति, शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप की प्रति उस भाषा में, जिसमें वह शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना चाहे, उसे दे देता है।

शपथ/प्रतिज्ञान की भाषा

सदस्य अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित बाईस भाषाओं (असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में से किसी भी भाषा में शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है। अंग्रेजी संस्करण की स्थिति में, संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ अथवा प्रतिज्ञान प्रपत्र का अनुपालन किया जाता है। इसी प्रकार, कतिपय मामलों में, कुछ संशोधनों के साथ, संविधान के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद की तीसरी अनुसूची में प्रयुक्त प्ररूपों का अनुपालन किया जाता है।

सदस्य अध्यक्षपीठ की ओर मुंह करके शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उसके बाद सामयिक अध्यक्ष के पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है, जो तब उसे सभा में अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति देता है। तत्पश्चात्, सदस्य अध्यक्ष के आसन के पीछे से महासचिव की मेज के दूसरी ओर चला जाता है। जहां वह सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करता है और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता है।

सदस्यों की नामावली

सदस्यों की नामावली एक रजिस्टर होता है उसे सत्र के दौरान पटल पर रखा जाता है और अंतर-सत्रावधि के दौरान यह सभा के एक अधिकारी की अभिरक्षा में रहता है।

किसी ऐसे सदस्य के मामले में जो बीमार है और अपने स्थान से उठ नहीं सकता है, उस सदस्य द्वारा सभा में जहां वह बैठा हो यदि वह ऐसा चाहे तो वहीं से शपथ ले सकता है या प्रतिज्ञान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सभा पटल पर बैठा अधिकारी शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप पत्र उस सदस्य के पास ले जाता है। जब सदस्य शपथ ले चुका होता है या प्रतिज्ञान कर चुका होता है तो सदस्यों की नामावली उसके पास ले जायी जाती है और वह वहीं पर उसमें हस्ताक्षर कर देता है। ऐसा एक उदाहरण है जब एक सदस्य नेत्रहीन होने के कारण शपथ का प्ररूप नहीं पढ़ सका, इसलिए एक अन्य सदस्य ने शपथ को पढ़ा जिसे नेत्रहीन सदस्य ने दोहराया।

शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने संबंधी प्रक्रिया

महासचिव द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर सदस्य शपथ लेते हैं अथवा प्रतिज्ञान करते हैं। प्रधानमंत्री अथवा सदन के नेता, जैसा भी हो, विपक्ष के नेता, सभापति तालिका के सदस्यों तथा मंत्री आदि के शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् राज्यवार अन्य सदस्यों को बुलाया जाता है। उन सदस्यों के नाम अंत में पुन: पुकारे जाते हैं जो प्रथम चरण में शपथ लेने के लिए उपस्थित नहीं होते।

सभा में शपथ लेते या प्रतिज्ञान करते समय सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वे अपना वही नाम पढ़ें जो निर्वाचन अधिकारी से मिली उनके चुनाव की घोषणा में दिया गया हो।

शपथ/प्रतिज्ञान के लिए समय-सीमा

जो सदस्य पहले दिन शपथ नहीं ले सकते या प्रतिज्ञान नहीं कर सकते वे उसी सत्र में अथवा बाद के सत्र में किसी भी अन्य दिन सभा की बैठक आरंभ होते ही शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं। तथापि, अनुरोध पर एक सदस्य को अंतर्सत्रावधि के दौरान अध्यक्ष कक्ष में शपथ लेने की अनुमती दी गई है।

जब कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन याचिका के संबंध में न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप सदस्य नहीं रह जाता है और उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाता है और वह व्यक्ति सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और यदि बाद में पहले व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाला आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा उलट दिया जाता है तो पहले व्यक्ति को, पुनः शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उस पहले सदस्य के स्थान पर निर्वाचित घोषित दूसरे सदस्य की सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है।

शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले सदस्यों के अधिकार

निर्वाचित सदस्य के पास तब तक केवल सीमित अधिकार होते हैं जब तक उसने विहित रूप से शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञान न कर लिया हो और उसके बाद सभा में अपना स्थान न ग्रहण कर लिया हो। वह सभा में किसी वाद-विवाद में तथा चर्चा में भाग लेने का तथा कोई टिप्पणी देने का अधिकारी नहीं होता है।

यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना या प्रतिज्ञान किए बिना सभा में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, *पांच सौ रुपए की शास्ति* का भागीदार होगा जो उसे संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 104 में निर्धारित किया गया है।

तथापि उसका चुनाव सदस्य के रूप में शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने से पहले उसे निम्नलिखित अधिकार देता है:—

- *कोई व्यक्ति उस तारीख से सभा का सदस्य बन जाता है जिस तारीख को निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसके निर्वाचित होने की घोषणा की गई हो;*
- *वह सभा के गठन के बारे में निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से सदस्य के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार है;*
- उसे सदस्य के अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं, उसे *अध्यक्ष या उपाध्यक्ष* के पद के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है;
- *उसे सभा की किसी प्रवर या किसी अन्य समिति* के सदस्य के रूप में *नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित* किया जा सकता है परन्तु ऐसी किसी समिति के सदस्य के रूप में किन्हीं कार्यों के निर्वहन के बिना;
- वह संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष *राष्ट्रपति* के *अभिभाषण* के समय भी उपस्थित रह सकता है;
- वह हालांकि *प्रश्न या संकल्प की सूचना दे सकता है* और उन्हें गृहीत किया जा सकता है, लेकिन वे उसे और न उसकी ओर से किसी अन्य सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रश्न पूछ सके या संकल्प पेश कर सके।
- वह सभा की बैठकों से *अनुपस्थिति की अनुमति मांगने का* हकदार है जिससे कि उसका स्थान रिक्त न हो जाए;
- वह शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले *त्यागपत्र भी दे सकता है।*

अपर सचिव, पी.के. मिश्रा, निदेशक, कल्पना शर्मा और अपर निदेशक, समिता भौमिक के पर्यवेक्षण में रचना शर्मा, संयुक्त निदेशक, लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका आशय पृष्ठाधार सहायता प्रदान करना है। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण निदेशक, श्री नवीन चन्द्र खुल्बे; अपर निदेशक, श्री धनी राम और संयुक्त निदेशक श्री रचनजीत सिंह के मार्गदर्शन में अनुवाद समिति शाखा (पांच) द्वारा तैयार किया गया है।